भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1899
11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

सेल के खिलाफ शिकायतें

1899. श्री रामप्रीत मंडल:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अधिकारी जनप्रतिनिधियों और आम जनता की शिकायतों और अनुरोधों पर आवश्यक संवेदनशीलता और तत्परता नहीं दिखा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस लापरवाही और उदासीनता के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार सुधारात्मक कदम उठाने और कोई ठोस दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है ताकि सेल के अधिकारी अधिक जवाबदेह बनें और जनता की शिकायतों का शीघ्र समाधान हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है, ताकि जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से प्राप्त पत्रों का निपटान समयबद्ध और प्रभावी तरीके से किया जा सके।

सरकार सेल सहित अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई से संबंधित शिकायतों के प्रभावी और समयबद्ध तरीके से निपटान की प्रगति की भी समीक्षा करता है।

*****